फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तेजसिंह बनाम विपक्षी : श्री सोहनसिंह

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 19/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 18.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 22 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 22 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 23 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जो हमारे दादा रूपसिंह के वक्त से चली आ रही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में कानूनी विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण उनके हक हिस्से उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे आये दिन प्रार्थीगण की बाड को नुकसान पहुचाते हैं। साथ विशेष हिस्से को हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं जिससे मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में विपक्षीगण द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खिमसिंह जी का खेडा पटवार हल्का धारता भू–अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 04 की आराजी नम्बर 102, 103, 107, 109, 110, 121, 125, 127, 138, 139, 145, 146, 147, 156, 158, 191, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204 किता 25 रकबा 5.6700 है, भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:23:41 IST
Reason: SelfAttested